

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)

उच्च शिक्षा निदेशालय 30प्र०

सरंजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद

सेवा में,

सहिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियन्त्रक

### सस-एम-कालोज़ शाटजलॉपुर

पत्रांक - हिंदी अर्थ (1)/आयोग/ 7786 /2000-2001 दिनांक 25/10/2001

विषय : प्राचृत्य/प्रवक्ता बी. स. र. पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय में प्राचृत्य/प्रवक्ता बी. स. र. वेतन क्रम  
8000 - 13500 में रिक्त पद का संदर्भ लें जो रिक्त है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या क्र.ठिं० कालोज़/२००१-०२/ ३४२ दिनांक २२.८.२००१ द्वारा जिन अभ्यार्थियों का चयन अनुमोदित एवं संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय में प्राचृत्य/प्रवक्ता बी. स. र. पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम वर्ष 1982 की धारा 13(3) के प्राविधानों के तहत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जाता है।

क्र.ठि० (कु) मीना शास्त्री,  
१५ राजा बिटार, बन्दनगर  
बजारनगर, बैरली

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की आया प्रति संलग्न है।

एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा-14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा संस्तुति पत्र की आयाप्रति प्रस्तुत करने के दिनांक जो भी पहले हो, से विलम्बतम्

क्र०प०३०

- 30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक द्वारा जारी करें तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय ले भी पृष्ठांकित करें। यह भी आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) दिया जाय। यदि आप द्वारा उक्त संस्तुत अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि के भीतर नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जाता है तो आपको बिना सूचित किये 30प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम की धारा 15(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी साथ ही 30प्र० राज्य विविध अधिनियम - 1973 (यथा संशोधित) की धारा - 57(2) के अन्तर्गत प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार आपके द्वारा निर्धारित अवधि में थारित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय। जिससे तदोपरान्त आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि इस पद के प्रति नियुक्ति के सम्बन्ध में मा० ० उच्च न्यायालय का कोई अन्तरिम आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व उसका समुचित पालन करने का कष्ट करें। यह आदेश 30प्र० राज्य विविध अधिनियम-1973 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत बाध्यकारी है। प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार शिक्षा निदेशक (30शि०) को होगा।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

डा० (आर० के० बसलस)

शिक्षा निदेशक (30शि०) 30प्र०

इलाहाबाद

प०स०-डिप्री अर्थ-१/आयोग/ २२५६-९/ तददिनांक

उक्त पत्र निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- प्राचार्य सूरभि राम कालैन शास्त्रजट्टौषुर
- संचिव, 30प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद।
- अभ्यर्थी को इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि वे कृपया \_\_\_\_\_  
 (क) इस पत्र की प्राप्ति से इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें।  
 (ख) महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्रतिशीघ्र अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें तथा उसकी सूचना निदेशालय को दें।  
 (ग) प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरान्त यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आप अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और ऐसी रूपा में अन्यत्र किसी महाविद्यालय में आपकी आसन व्यवस्था पर पुँछ विचार नहीं किया जायेगा तथा आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
- जिला विद्यालय निरीक्षक \_\_\_\_\_
- कुलसंचिव सूरभि जे.पी. होटेलर्स निक्षिकोली
- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी बोर्ड

डा० एस० राम (30शि०)

कृते शिक्षा निदेशक (30शि०) 30प्र०, इलाहाबाद

प्रेषकः

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)

उच्च शिक्षा निदेशालय ३०४०

सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद

सेवा में

सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियन्त्रक

रम. रम. गद्यविज्ञान

शास्त्रजटीय

पत्रांक - डिग्री अर्थ (1)/आयोग/ ८१५७ /2000-2001 दिनांक ११/२००१

विषय: प्राचीर्थ/प्रवक्ता श्री. रम. पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदयः

कृपया अपने महाविद्यालय में प्राचीर्थ/प्रवक्ता श्री. रम. वेतन क्रम  
८००० - १३५०० में रिक्त पद का संदर्भ तैयारी जो रिक्त है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या क्रि. अ. ३०१-०२/३४२ दिनांक २२.८.२००१ द्वारा जिन अभ्यार्थियों का चयन अनुमोदित एवं संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय में प्राचीर्थ/प्रवक्ता श्री. रम. पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम वर्ष 1982 की धारा 13(3) के प्राविधानों के तहत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जाता है।

श्री. रम. गद्यविज्ञान

रंग मण्डल, उत्तराखण्ड शैक्षणिक विभाग,

शास्त्रजटीय

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छाया प्रति संलग्न है।

एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की लिये अथवा अभ्यर्थी द्वारा संस्तुति पत्र की उत्ताप्ति प्रस्तुत करने के दिनांक जो भी पहले हो, से विलम्बतम्

कृपया

30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक द्वारा जारी करें तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित करें। यह भी आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) दिया जाय। यदि आप द्वारा उक्त संस्तुत अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि के भीतर नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जाता है तो आपको बिना सूचित किये 30प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम की धारा 15(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी साथ ही जाप्र० राज्य विभिन्न अधिनियम - 1973 (यथा संशोधित) की धारा - 57(2) के अन्तर्गत प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध कार्यवाही हेतु आसन को संस्तुति कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार आपके द्वारा निर्धारित अवधि में धारित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निर्देशालय को एक सत्राह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय। जिससे तदोपरान्त आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि इस पद के प्रति नियुक्ति के सम्बन्ध में मा० ३०प्र० उच्च न्यायालय का कोई अन्वरिम आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व उसका रमुचित पालन करने का कष्ट करें। यह आदेश 30प्र० राज्य विभिन्न अधिनियम-1973 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत वाध्यकारी है। प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार शिक्षा निदेशक (30शि०) को होगा।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

४०—  
डा० (आर० के० बसलस)  
शिक्षा निदेशक (30शि०) ३०प्र०

इलाहाबाद

पा०स०-हिंगी अर्थ-१/आयोग/ ३१.५२ - ६ तदटिनांक

उक्त पत्र निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- १- ग्राम्य एवं एवं महाविद्यालय शाहजहाँपुर
- २- सचिव, ३०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद।
- ३- अभ्यर्थी को इस मन्त्रालय के साथ प्रेषित कि वे कृपया
  - (क) इस पत्र की प्राप्ति से इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें।
  - (ख) महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्रतांशीघ्र अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें तथा उसकी सूचना निर्देशालय को दें।
  - (ग) प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरान्त यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आप अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और ऐसी दशा में अन्यत्र किसी महाविद्यालय में आपकी आसन व्यवस्था पर पुनः विद्यार नहीं किया जायेगा तथा आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी। जिसका रागूर्ण प्रबन्धित अधिकार रद्द हो जाएगा।
- ४- जिला विद्यालय निरीक्षक
- ५- कुलसचिव शाहजहाँपुर
- ६- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी बोरेली

संहारक-संसाधन निदेशक (30शि०)

कृते शिक्षा निदेशक (30शि०) ३०प्र०, इलाहाबाद

महाविद्यालय नाम सिंग प्रीन अवृत्ति नाम शिक्षा विभाग विद्यालय नाम  
प्रेषक,  
शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) इस विविधता के लिए उच्च शिक्षा विभाग नाम  
उच्च शिक्षा निदेशालय 30प्र० इसकी जारी रखने के लिए उच्च शिक्षा विभाग  
सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद का ४५०० - ४५०१ नं. निवास, इसकी जारी रखने  
के लिए उच्च शिक्षा विभाग निवास विभाग नाम

सेवा में, शिक्षी विभाग की विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग  
सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियन्त्रक विभाग विभाग विभाग वि�भाग वि�भाग  
रस्ते एस कालीन  
शाहजहांपुर

पत्राक - हिन्दी अर्थ (1)/आयोग/ २९४८ /2000-2001 दिनांक २३/०१/२००१

विषय : प्राचीर्य/प्रवक्ता श्री. स. राज पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय में प्राचीर्य/प्रवक्ता श्री. स. राज वेतन रुपम  
४००० - १३५०० में स्थित पद का संदर्भ लें जो रिक्त है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथा संशोधित) वेतन प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या ३०२१० आयोग/ २००१-०२/ ३४२ दिनांक २२.८.२००१ द्वारा जिन अभ्यार्थियों का चयन अनुमोदित एवं संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय में प्राचीर्य/प्रवक्ता श्री. स. राज पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम वर्ष 1982 की धारा 13(3) के प्राविधानों के तहत निम्नांकित अभ्यार्थी का नाम संस्तुत किया जाता है।

श्री राजा युज्ञा

श्री राजा युज्ञा

ग. प. ३२, मौज गोटपत्ती

बीजनाम, काशीगंग-८८

उत्तर संस्तुत अभ्यार्थी के आवेदन की ओरा प्रति संलग्न है।

एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यार्थी द्वारा संस्तुति पत्र की आयाप्रति प्रस्तुत करने के दिनांक जो भी पहले हो, से विलम्बतम्

विलम्बतम्

Principal  
S.S. College, Bhopal, M.P.

कृ०५०३०

30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक द्वारा जारी करें तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय का भी पृष्ठांकित करें। यह भी आवश्यक है कि पदभार प्रहण करने के लिए अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) दिया जाय। यदि आप द्वारा उक्त संस्तुत अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि के भीतर नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जाता है तो आपको दिना सूचित किये 30प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम की धारा 15(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी साथ ही 30प्र० राज्य विभिन्न अधिनियम - 1973 (यथा संशोधित) की धारा - 57(2) के अन्तर्गत प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार आपके द्वारा निर्धारित अवधि में धारित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष बाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय। जिससे तदोपरान्त आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि इस पद के प्रति नियुक्ति के सम्बन्ध में 30प्र० उच्च न्यायालय का कोई अन्तरिम आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व उसका समुचित पालन करने का कठोर कठोर। यह आदेश 30प्र० राज्य विभिन्न अधिनियत-1973 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत बाध्यकारी है। प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार शिक्षा निदेशक (30शि०) को होगा।

कृपया पत्र की प्राप्ति रखी भार कर निर्देशनसार कार्यवाही सुनिश्चित करे।

डॉ (आर० के० बसलास)

शिक्षा निदेशक (30शि०) 30प्र०

इलाहाबाद

ए०प्र०-विभी अर्थ-१/उद्योग। २७५८ - ५३ तात्प्रियांक

उक्त पत्र निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

१. प्राचार्य रमा रमा काले शास्त्रज्ञ

२. चूच्चिव, 30प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद।

३. अभ्यर्थी को इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि वे कृपया

(क) इस पत्र की प्राप्ति से इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें।

(ख) महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्रतिशीघ्र अपने पद का कार्यभार प्रहण करें तथा उसकी सूचना निदेशालय को दें।

(ग) प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरान्त यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार प्रहण नहीं कर लिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आप अपने पद का कार्यभार प्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और ऐसी दशा में अन्यत्र किसी महाविद्यालय में आपकी आसन व्यवस्था पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा तथा आपकी नियुक्ति स्थित : निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

४. जिला विधालय निरीक्षक

५. कुलसंघिव

६. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी

- राम कौशल अधिकारी (30शि०)

कृते शिक्षा निदेशक (30शि०) 30प्र०, इलाहाबाद

प्रैषाद्

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)  
डिग्री अर्थ-१ अनुभाग,  
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संदर्भ में

डॉ समाजीत सिंह  
सेठनिंद एसोसिएट प्रॉफेसर -बीठएड्डा,  
एसठएसठकॉलेज, शाहजहांपुर।

७३४

**विषय:** सहायता प्राप्त असासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर मानवेय के आधार पर सेवानिवृत्त शक्तिकारों को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

महादय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1864/सत्तर -2-2013- 16(246)/2010 दिनांक 25 नवम्बर, 2013शासनादेश संख्या 269/सत्तर -2-2014 16(246)/ 2010 दिनांक 24 अप्रैल, 2014 एवं शासनादेश संख्या 384/सत्तर -2-2014- 16(246)/ 2010 दिनांक 24 अप्रैल 2014 एवं शासनादेश संख्या 384/ सत्तर -2-2014-16(246)/ 2010 दिनांक 18 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या 498/ सत्तर-2-2014-16(246)/2010 टी० सं० दिनांक 5 अगस्त, 2014 प्राप्त निर्देशानुसार आप ह्वारा प्रत्युत्त आवेदन व आपकी सहमति के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी स्तर पर गठित समिति ह्वारा की गयी संस्तुति एवं अनुमोदन लम्बव्याप्ति प्रस्ताव दिनांक 16. 07.2015 के आलोक में आपको निम्नलिखित शर्तों के अधीन मानदेश के आधार पर शैक्षिक सत्र 2015-16 के लिए अध्यापन कार्य हेतु नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है साथ ही संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य को यह निर्देशित किया जात है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिये जाने हेतु वेतन संदाय खाते से मानदेश का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा । अतः आप संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रबन्धक से शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के 15 दिनों के अन्दर समर्पक स्थापित कर कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें । मानदेश पर रखे जाने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनकी सेवानिवृत्त के समय मिल रहे वेतन स्तर के अनुसार मानदेश की दर निम्नवत देय होगी-

### क. सहायक प्रोफेसर स्तर-

रु० 20,000/- प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत

रु० 400/- प्रति व्याख्यान की दर से।

## ख. एसोसिएट प्रोफेशर सर-

रु 22,000/- प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत

प्रोफेसर लार-

रु 25,000/प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत

रुपा 600/- प्रति व्याख्यान की दर से।

2 यह मानदेव संवादित शिक्षकों को प्राप्त हो रही पेशन के अतिरिक्त होगा जिसकी दर निश्चित होगी पर कोई मैंगाइ भत्ता अथवा अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

3. मानदेव के आधार स्वामीनिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति महाविद्यालय में सर्वथित विषय के रिक्त पद पर आयोग से शिक्षक नियुक्त होने अथवा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के 30 जून तो भी पहले हो, तक ही एक सत्र के लिए ही की जायेगी एवं अगले सत्र हेतु पुनः नवीन चयन किया जायेगा।

उपर्युक्त व्यवस्था पर होने वाला व्यय छालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या -73 के लेखा शीर्षक -2202- सामाज्य शिक्षा—आगोनेतर-03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा -104-अराजकीय कौलेजों और संस्थानों को सहायता -03 गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता (पुलव/ महिलायें )-31-सहायता के नामे डाला जायेगा एवं आगामी वर्षों में यह लेखा व्यय इसी लेखा शीर्षक अधिकार प्रतिस्थानी लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा।

प्राचीन

प्रो०(१०८न०८स०यादव)  
संयुक्त निदेशक (उ०शि०)  
कृते शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)  
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

प्रधान संख्या छिपी अर्थ - 4665-69

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आदरश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. कलसचिव एम्ब०जे०पी०रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

३ विज्ञ विद्युत्क चर्षिण मरुभालय इलाहाबाद ।

3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरली को इस निर्देश के साथ प्रेरित कि संलग्न मूल नियुक्ति पत्र को सम्बन्धित संबान्धित प्राचायापक को प्राप्त करा दें।

प्रबन्धक / प्राचार्य एसएसकॉलेज, शाहजहांपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किए गए सेवानियुक्त प्राचार्यापक के सभाविद्यालय में कार्यनार ग्रहण कराकर सचना निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।।

३०(विनीता यादव)  
सहायक निदेशक (उपशिष्ट)  
कृते शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)  
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)

डिग्री अर्थ-1 अनुभाग,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संवा मे.

डॉ० शंकर लाल गुप्ता

सेंट्रल एसोसिएट प्रोफेसर -बी०एड०

एस०एस०कॉलेज, शाहजहाँपुर।

पत्रांक डिग्री (अर्थ-1)/

/2015-16 दिनांक 14 - 9 - 2015

विषय: सहायता प्राप्त अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1864/सत्तर -2-2013- 16(246)/2010 दिनांक 25 नवम्बर 2013 शासनादेश संख्या 269/सत्तर -2-2014 16(246)/ 2010 दिनांक 24 अप्रैल 2014 एवं शासनादेश संख्या 384/सत्तर -2-2014- 16(246)/ 2010 दिनांक 24 अप्रैल 2014 एवं शासनादेश संख्या 384/ सत्तर -2-2014-16(246)/ 2010 दिनांक 18 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या 498/ सत्तर-2-2014-16(246)/2010 टी० सी० दिनांक 5 अगस्त, 2014 प्राप्त निदेशानुसार आप ह्वारा प्रस्तुत आवेदन व आपकी सहमति के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी स्तर पर गणित द्वारा की गयी संस्कृति एवं अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव दिनांक 16.07.2015 के आलोक में आपको निम्नलिखित शर्तों के अधीन मानदेय के आधार पर शीक्षिक सत्र 2015-16 के लिए अध्यापन कार्य हेतु नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है साथ ही संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य को यह निर्देशित किया जात है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिये जाने हेतु वेतन संदाय खाते से मानदेय का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा । अतः आप संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रबन्धक से शीक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के 15 दिनों के अन्दर सम्पर्क स्थापित कर कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें। 1. मानदेय पर रखे जाने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनकी सेवानिवृत्त के समय तक रहे वेतन स्तर के अनुसार मानदेय की दर नियमित देय होगी-

क. सहायक प्रोफेसर स्तर-

रु 20,000/-प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत

रु 400/-प्रति व्याख्यान की दर से।

ख. एसोसिएट प्रोफेसर स्तर-

रु 22,000/-प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत

रु 500/-प्रति व्याख्यान की दर से।

ग. प्रोफेसर स्तर-

रु 25,000/-प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत

रु 600/-प्रति व्याख्यान की दर से।

2. यह मानदेय सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राप्त हो रही पेशन के अतिरिक्त होगा जिसकी दर नियित होगी पर कोई मैंहगाई भला अन्य भला देय नहीं होगा।

3. मानदेय के आधार सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति महाविद्यालय में संबंधित विषय के रिक्त पद पर आयोग से शिक्षक नियुक्त होने अथवा प्रत्येक शीक्षणिक वर्ष के 30 जून जो भी पहले हो, तक ही एक सत्र के लिए ही की जायेगी एवं अगले सत्र हेतु मुन् नवीन घयन किया जायेगा।

उपर्युक्त व्यवस्था पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या -73 के लेखा शीर्षक -2202- लाभान्य शिक्षा-आयोनेत्तर-03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा -104-अराजकीय कॉलेजों और संस्थानों को सहायता -03 गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता (पुरुष/ महिलायें) -31-सहायता के नामे डाला जायेगा एवं आगामी वर्षों में यह लेखा व्यय इसी लेखा शीर्षक अथवा प्रतिरक्षानी लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा।

#### भवदीय

प्रो०(एस०एस०एस०यादव)

संयुक्त निदेशक (उ०श०)

कृते शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

/2015-16 उसी तिथि को।

पृष्ठांकन संख्या डिग्री अर्थ - ५६७०-७४

प्रशिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कूलसंचय, एम०ज०पी०र०हैलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

2. वित्त नियंत्रक, उ०श० मुख्यालय, इलाहाबाद।

3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न मूल नियुक्ति पद को संबंधित सेवानिवृत्त प्राचार्यापक को प्राप्त करा दें।

4. प्रबन्धक/प्राचार्य, एस०एस०कॉलेज, शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति किए गए सेवानिवृत्त प्राचार्यापक के महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराकर सूचना निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उ०(विनीता यादव)

सहायक निदेशक (उ०श०)

कृते शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)

उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

७००८  
४०१०१०६

५३१२८

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)  
उच्च शिक्षा निदेशालय उम्प्रो  
सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद

सेवा में,

सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियन्त्रक

स्वभारी औकेर्सन्ड स्नातकोत्तर महाविद्यालय समुदाय अस्सम  
आहुजखुर

पत्रांक - डिग्री अर्थ (1)/आयोग/

८७०

1/2006-2007 दिनांक १९/१०/०६

विषय : प्राचार्य/प्रवक्ता श्रीराम कृष्ण पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय में प्राचार्य/प्रवक्ता श्रीराम कृष्ण वेतन राम  
०००-१३५०० में रिक्त पद का संदर्भ लें जो श्रीराम कृष्ण २२/२/२०७५  
द्वारा स्थापित रिक्त है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या श्रीराम कृष्ण/२९४/२०८६-०७  
दिनांक २७-२-८६ द्वारा जिन अभ्यार्थियों का चयन अनुमोदित एवं संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय में प्राचार्य/प्रवक्ता श्रीराम कृष्ण पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम वर्ष 1982 की धारा 13(3) के प्राविधानों के तहत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जाता है।

श्री उमरीत सिंह पार्णा ८/०९४१ सम्मुख जीता  
मा.नं. १८८, सेक्टर-२ ली  
वसुन्धरा गांजीभावना

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छाया प्रति संलान है।


एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा-14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा संस्तुति पत्र की ऊयाप्रति प्रस्तुत करने के दिनांक जो भी पहले हो, से विलम्बतम्

कृपयोग

30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक द्वारा जारी करें तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित करें। यह भी आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) दिया जाय। यदि आप द्वारा उक्त संस्तुत अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि के भीतर निर्गत नहीं किया जाता है तो आपको बिना सूचित किये 30प्र० ३८८० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम १९७३ (यथा संशोधित) की धारा 15(1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी साथ ही 30प्र० राज्य विवि० अधिनियम १९७३ (यथा संशोधित) की धारा - ५७(२) के अन्तर्गत प्रबन्धतन्त्र के विराम्दृ कार्यवाही हेतु आसन को संस्तुति कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

यदि किहीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार आपके द्वारा निर्धारित अवधि में धारित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय। जिससे तदोपरान्त आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि इस पद के प्रति नियुक्ति के सम्बन्ध में मा० ३८८० उच्च न्यायालय का कोई अन्तरिम आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व उसका समुचित पालन करने का कष्ट करें। यह आदेश 30प्र० राज्य विवि० अधिनियम-१९७३ (यथा संशोधित) के अन्तर्गत बाध्यकारी है। प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार शिक्षा निदेशक (उ०शि०) को होगा।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

  
डॉ (जयं जोशी)  
शिक्षा निदेशक (उ०शि०) ३०प्र०  
इलाहाबाद

पृ०सं०-डिग्री अर्थ-१/आयोग।

तददिनांक

उक्त पत्र निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- १- प्राचार्य स्वामी शुद्धादेवतन्द स्नातमेतरमात्रिवलप मुद्रक भास्त्रम् शाहजहाँ
- २- सचिव, ३०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद।
- ३- अभ्यर्थी को इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि वे कृपया  
 (क) इस पत्र की प्राप्ति से इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें।  
 (ख) महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से सम्पूर्ण स्थापित कर शीघ्रतीशीघ्र अपने पुढ़ का कार्यभार ग्रहण करें तथा उसकी सूचना निदेशालय को दें।  
 (ग) प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरान्त यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आप अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और ऐसी दशा में अन्यत्र किसी महाविद्यालय में आपकी आसन व्यवस्था पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा तथा आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
- ४- जिला विद्यालय निरीक्षक शाहजहाँ मुर्दा
- ५- कुलसचिव सुहालाल विवि वरेली
- ६- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वरेली

  
डॉ (जयं जोशी)  
शिक्षा निदेशक (उ०शि०) ३०प्र०, इलाहाबाद



महात्मा ज्योतिबा फुले खण्डव विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रु.वि./सम्ब./2009/96(७)/7460

दिनांक: १७-११-२००९

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

२०८  
१९४५

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक २३/१०/२००९ का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपने संस्था में कुलपति महोदय द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में चयनित प्रवक्ताओं/प्राचीर्य का अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त के आलोक में कुलपति जी ने निम्न लिखित प्रवक्ताओं/प्राचीर्य का अनुमोदन प्रदान किया है-

- |                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| 1- श्री गुरजीसल राजी - श्री कौरा - १००८ - २००५                  | ✓ |
| 2- श्री गुरजीसल राजी - " " " - " - " " "                        |   |
| 3- श्री गुरजीसल राजी - " " " - " - " " "                        |   |
| 4- श्री गुरजीसल राजी - ३०८८४ - " - श्रीकृष्ण २००६               |   |
| 5- श्री गुरजीसल राजी - ४८८८८ - " - श्रीकृष्ण २००६               |   |
| 6- श्री गुरजीसल राजी - ७८८८८८८ - श्रीकृष्ण - " - श्रीकृष्ण २००३ |   |
| 7- श्री गुरजीसल राजी - ९८८८८८८८ - " - श्रीकृष्ण २००५            |   |

अतः उपरोक्त अनुमोदित प्रवक्ताओं/प्रार्थीय को शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09.05.2000 के अनुसार नियुक्ति पत्र प्रदान करें। अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रति, कार्यभार आख्या, अनुबन्ध पत्र/शपथ पत्र फोटो सहित विश्वविद्यालय में अभिलेखार्थ प्रस्तूत करें।

महादीय

गुरुदाम

रजि.सं. 83/1983-84



**स्वामी शुकदेवानन्द कालेज**  
मुमुक्षु आश्रम, शाहजहाँपुर 242226  
संपर्क - 05842-240204

पत्रांक : .....

दिनांक : 18/02/16

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राम चन्द्र सिंघल पुत्र स्व श्री चिरौंजी लाल सिंघल निवासी  
रोशन गंज, जिला शाहजहाँपुर संस्था के सचिव हैं। इनके प्रमाणित हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं।



हस्ताक्षर-प्रमाणित

Signature of Ram Chandra Singh Shal  
RAM KUMAR  
Advocate  
Notary Public Court, Shahjahanpur  
27/2/16

Principal  
Dr. (ए. के. मिश्र)  
प्राचार्य  
S. S. College, Shahjahanpur